विभिन्न निगरानी न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 17.06.2025 (मंगलवार) को सरदार पटेल भवन स्थित, गृह विभाग, बिहार, पटना के कॉन्फ्रेन्स हॉल में सम्पन्न बैठक (Minutes of Proceeding) की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1.	श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार	–	महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो।
2.	श्री पंकज कुमार दराद	–	अपर महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई।
3.	श्रीमती एस० प्रेमलथा	–	पुलिस महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो।
4.	श्रीमती अंजु सिंह	–	संयुक्त सचिव (विधि), निगरानी विभाग।

उक्त के अतिरिक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, विधि पदाधिकारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो व विशेष निगरानी इकाई एवं पटना स्थित न्यायालय में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक सदेह एवं मुजफ्फरपुर व भागलपुर में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम, अपर मुख्य सचिव द्वारा पिछली बैठक में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की चर्चा संक्षिप्त रूप से की गयी। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी, जो निम्नांकित है :–

1. **विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर (बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत गठित न्यायालय, प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय) एवं विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत गठित)** में विचारण हेतु लंबित वादों की समीक्षा की गई। मुजफ्फरपुर के विशेष लोक अभियोजकों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में लंबित वादों की अधिकता एवं विगत तीन माह में वादों का निस्तारण नहीं होने के लिए अनन्य न्यायालय का न होना मुख्य कारण बताया गया। विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं होने के कारण भविष्य में प्रदत्त निदेश के अनुरूप विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त कराने का निदेश दिया गया। पुराने मामलों की सूची उपलब्ध कराने तथा विचारण की कार्यवाही में प्रगति लाये जाने एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने मामलों में यथासंभव शीघ्र निष्कर्ष प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक, श्री अरूण कुमार चौधरी के पास राज्यसात के 8 वाद से संबंधित विचारण के लिए केवल 3 वाद रहने का कारण पूछे जाने पर उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। श्री चौधरी को पाँच विचारण वादों का पता लगाकर उन वादों पर भी उचित रूप से कार्रवाई करने का निदेश दिया। साथ ही, यह भी निदेश दिया कि प्राधिकृत पदाधिकारी के न्यायालयों में जितने मामले राज्यसात के होंगे, उससे संबंधित विचारण वाद भी विशेष न्यायालयों में होने चाहिए।

2. **विशेष न्यायालय, निगरानी, भागलपुर (बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत गठित न्यायालय, प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय) एवं विशेष न्यायालय, निगरानी, भागलपुर (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत गठित)** में कार्यरत विशेष लोक अभियोजकों के लंबित वादों की समीक्षा की गयी। श्री राम बदन कुमार चौधरी, विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उनके पास कुल 264 लंबित मामले हैं, जिसमें 15 वर्ष से अधिक पुराने 93 मामले हैं। श्री चौधरी द्वारा दो वादों में जुलाई माह में निर्णय की संभावना व्यक्त की गयी। उन्होंने यह भी बताया कि उपस्थिति (Appearance) हेतु लंबित वादों की सूची उनके द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को भेज दी गयी है। श्री सिरूस लाल, विशेष लोक अभियोजक द्वारा राज्यसात के 2 एवं विचारण के 5 वाद लंबित होने की सूचना दी गयी। उन्हें वादों के निष्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक, श्री जवाहर प्रसाद की अनुपस्थिति के संबंध में श्री सिरूल लाल द्वारा उनके अस्वस्थ होने की सूचना दी गयी।

3. **विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना (बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत गठित न्यायालय, प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय) विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत गठित)** में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक, श्री किशोर कुमार सिंह द्वारा कुल 108 वाद लंबित होने की सूचना दी गयी, जिसमें अगले तीन माह में 9 वादों में निर्णय की संभावना व्यक्त की गयी। श्री विजय भानु, विशेष लोक अभियोजक द्वारा कुल 61 वाद लंबित होने की सूचना दी गयी, जिसमें अगले तीन माह में 3 वादों में निर्णय की संभावना व्यक्त की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि 3 ऐसे वाद हैं, जिसमें एक–एक गवाही शेष है, इन मामलों में अनुवर्त्ती कार्रवाई का निदेश निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के विधि पदाधिकारी को दिया गया। श्री रितेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक द्वारा उनके पास लंबित एक वाद में निर्णय प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की गयी।

श्री विजय कुमार सिन्हा, विशेष लोक अभियोजक एवं उनके कनीय अधिवक्ता, सुश्री आनन्दी सिंह द्वारा कुल 19 वाद लंबित होने की सूचना दी गयी, जिसमें अनुसंधान हेतु लंबित वाद सम्मिलित नहीं है। उपस्थिति (Appearance) हेतु लंबित 17 वादों में सम्मन जारी कराने एवं उक्त का तामिला कराने का निदेश दिया गया। संयुक्त सचिव (विधि) ने बताया कि गवाह के पक्षद्रोही होने की सूचना विभाग को दी जाय ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

अपर मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि पुराने मामलों में भी अभियोग–पत्र सहित अन्य कागजातों में गवाहों के मोबाईल नम्बर अंकित कर सूचनाओं को अद्यतन किया जाय।

डा० श्रद्धानन्द पासवान, विशेष लोक अभियोजक द्वारा कुल 88 वाद लंबित होने की सूचना दी गयी। उनके द्वारा इस माह तीन गवाही कराये जाने तथा एक गवाह के बिना गवाही के लौट जाने की सूचना दी गयी श्री पासवान द्वारा बताया गया कि वादों के पुराने होने के कारण गवाही उचित रूप में नहीं हो पा रही है। श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद, विशेष लोक अभियोजक द्वारा कुल लंबित मामलों की संख्या 60 बतायी गयी। उनसे अननुपातिक सम्पत्ति एवं पद के दुरूपयोग संबंधी वादों में सजा की दर बढ़ाने के संबंध में पृच्छा की गयी। इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। निगरानी थाना कांड संख्या–22/06 से उद्भूत वाद में सत्यापनकर्त्ता की गवाही नहीं कराये जाने एवं दस्तावेज उपलब्ध रहने पर भी उसे प्रर्दश अंकित नहीं कराने संबंधित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रश्न का भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह प्रश्न किया गया कि कोई कांड केवल मांग (Demand) के आधार पर हो तो उस स्थिति में क्या उचित होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा बताया गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–7ए के तहत आरोपित करने के लिए रिश्वत की मांग (Demand) भी पर्याप्त आधार है अपर मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि यदि रिश्वत की मांग (Demand) के पर्याप्त साक्ष्य हैं तो उसे साबित करने हेतु ध्यान दिया जाय।

श्री अमरनाथ पाठक, विशेष लोक अभियोजक द्वारा कुल 71 वाद लंबित होने की सूचना दी गयी। उनके द्वारा पिछले चार साल में केवल **तीन वादों** का निष्पादन कराये जाने पर अपर मुख्य सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। श्री राजीव कुमार वर्मा, विशेष लोक अभियोजक द्वारा कुल 60 वाद लंबित होने की सूचना दी गयी। उनके द्वारा पिछले चार साल में केवल **तीन वादों** का निष्पादन कराये जाने पर अपर मुख्य सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अधिक वादों के निष्पादन हेतु प्रयास करने का निदेश दिया गया।

अपर मुख्य सचिव ने सभी प्रभारी विशेष लोक अभियोजकों को निदेश दिया कि वे विशेष लोक अभियोजकों को प्रतिदिन आने वाली छोटी–छोटी समस्याओं एवं अड़चनों के संबंध में विमर्श करें तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई से सहयोग प्राप्त कर निराकरण करें।

श्री राजेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अधिहरण के प्राप्त 70 वादों में से 42 वादों में निर्णय प्राप्त हो चुका है तथा विचारण हेतु लंबित वादों की संख्या–61 है। महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने निदेश दिया कि किसी लंबित वाद में यदि एक या दो गवाही के लिए वाद लंबित हो तो उसकी सूची उपलब्ध करा दी जाय। श्री ब्रजेश्वर कुमार सिन्हा ने बताया कि उनके पास विचारण हेतु 7 वाद लंबित हैं, जिसमें से एक वाद का अभिलेख मुजफ्फरपुर अन्तरित किया जाना है और एक वाद में अभिलेख न्यायालय में ही नहीं मिल रहा है। संयुक्त सचिव (विधि) द्वारा उक्त वाद में अभिलेखों के पुनर्निर्माण (Reconstruction) हेतु प्रयास करने का सुझाव दिया गया। श्री ब्रजेश्वर कुमार सिन्हा ने आवंटित वादों के साम्यिक बँटवारा नहीं रहने की सूचना देते हुए उचित कार्रवाई का अनुरोध किया। अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में आवश्यक सुधार हेतु उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

4. **अपर महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, पटना** द्वारा बताया गया कि विशेष निगरानी इकाई के कुल 29 वाद हैं एवं वर्ष 2009 में प्रथम अभियोग–पत्र दाखिल किया गया है, किन्तु आजतक किसी वाद में निर्णय प्राप्त नहीं होना चिंताजनक है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी विशेष लोक अभियोजकों द्वारा प्रत्येक माह ब्यूरो एवं इकाई के वादों को अलग–अलग दिखाते हुए वादों के निष्पादन हेतु अपने सुझाव, टिप्पणी और अनुरोध के साथ प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाना उचित होगा। अपर महानिदेशक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कार्यरत निगरानी के विधि पदाधिकारियों को भी इस बैठक में शामिल करने का सुझाव दिया गया।

वर्तमान में ब्यूरो एवं इकाई द्वारा वादों के निष्पादन में हर संभव सहयोग दिये जाने से अवगत कराते हुए अपर मुख्य सचिव ने विशेष लोक अभियोजकों को निदेश दिया कि उक्त सहयोग का लाभ उठाकर लंबित वादों का अधिकाधिक संख्या में निष्पादन कराया जाए।

5. **महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा** सभी विशेष लोक अभियोजकों को निदेश दिया कि 5, 10 और 15 वर्ष पुराने मामलों में से प्रत्येक समूह से तीन–तीन वैसे मामलों की सूची प्राप्त कराई जाए जिनमें अगले तीन माह में निर्णय प्राप्त किया जा सके। डी०ए०, ए०ओ०पी०ए० एवं ट्रैप प्रकृति के दो–दो वैसे वादों की सूची भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जिनमें आपराधिक कार्यवाही का अधिकांश कार्य किया जा चुका हो और अगले तीन माह में निर्णय प्राप्त किया जा सके। उनके द्वारा कहा गया है कि गवाहों के उपस्थापन में तेजी आयी है तथा कुल 244 गवाह उपस्थित कराये गये हैं। महानिदेशक द्वारा बड़ी संख्या में बिना गवाही के गवाहों की वापसी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए बताया गया कि 48 गवाह बिना गवाही के वापस हो गए। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजकों से अनुरोध किया गया कि गवाही की संभवना नहीं रहने पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को यथासमय सूचित कर दिया जाए ताकि गवाहों की उपस्थिति में अपव्यय होने वाले समय और श्रम की बचत हो सके। वाद संबंधी अभिलेख के अन्तरण (Transfer) में हो रही देरी को देखते हुए महानिदेशक द्वारा प्रभारी विशेष लोक अभियोजकों को ध्यान देकर अन्तरण के मामलों में ससमय अभिलेख प्राप्त कराने हेतु प्रयास किये जाने का सुझाव निदेश दिया गया। साथ ही, जहाँ भी अनन्य (Exclusive) न्यायालय नहीं है वहाँ न्यायालय से इस आशय की प्रार्थना की जाए कि निगरानी वादों की सुनवाई हेतु कुछ समय बढ़ाया जाए। निगरानी वादों में सरकारी गवाहों की उपस्थिति कराई जाती है तथा यह लोकहित से जुड़े वाद हैं। इन आधारों पर सुनवाई हेतु अधिक समय दिए जाने की प्रार्थना न्यायालय से की जा सकती है।

विमर्शोपरा त निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

- निगरानी अ वेषण ब्यूरो तथा विशेष निगरानी इकाई द्वारा भी लंबित नोटिस का तामिला कराने, अभि योजन स्वीकृति एवं घोषणा–पत्र हेतु लंबित मामलों में शीध्र कार्रवाई की जाय।
- प्रत्येक विशे प लोक अभियोजक द्वारा 5, 10 एवं 15 वर्ष पुरा वादों में से तीन–तीन वैसे वादों की स ची निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/विशेष निगरानी इकाई को अपेक्षित कार्रवाई हेतु स्पष्ट रूप से गवाहों के नाम सहित अंकित करते हुए प्राप्त कराया जाएगा, जिनमें अगले तीन माह में निर्णय प्राप्त होने की संभावना हो।
- गवाहों की उपस्थिति हेतु यथेष्ट समय (कम से कम 5 दिन पूर्व) ब्यूरो/इकाई को विशेष लोक अभियोजक द्वारा अधियाचना प्राप्त करा दिया जाय।
- जिन वादों में निर्णय (Judgement) अंतिम हो चुका है, उन वादों से संबंधित प्रदर्शों को नष्ट करने हेतु न्यायालय में अलग से प्रार्थना कर आदेश प्राप्त किया जाय।
- निगरानी न्यायालय द्वारा किसी वाद में अभियुक्त की रिहाई की स्थिति में संबंधित विशेष लोक अभियोजक द्वारा रिहाई आदेश आते ही सत्यापित प्रति के साथ अपील किये जाने के बिन्दु पर मंतव्य सहित प्रतिवेदन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई को उपलब्ध कराया जाय।
- प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु एक व्यावहारिक प्रपत्र बनाने के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई द्वारा नामित पदाधिकारियों एवं संयुक्त सचिव (विधि) द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जाय।
- विशेष लोक अभियोजकों के विपत्रों का ससमय भुगतान होने की सूचना देते हुए अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि वे प्रत्येक माह अपने विपत्र समर्पित करें ताकि भुगतान लंबित न रहे।
- लंबित वादों के अनुश्रवण हेतु निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई द्वारा प्रत्येक माह विशेष लोक अभियोजकों के साथ बैठक का आयोजन किया जाए।
- अन्त में अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग द्वारा निगरानी वादों के त्वरित निष्पादन का निदेश देते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई को अभियोजन शाखा को सक्रिय करते हुए लंबित वादों का अनुश्रवण (Follow Up) करने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह०/–
(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– **/पटना, दिनांकः**

प्रतिलिपि– महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/अपर महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(अंजु सिंह)
संयुक्त सचिव (विधि)

ज्ञापांक– **/पटना, दिनांक:**

प्रतिलिपि– सभी विशेष लोक अभियोजक, निगरानी न्यायालय, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अंजु सिंह)
संयुक्त सचिव (विधि)

ज्ञापांक– 5209 **/पटना, दिनांक :–** 31/07/25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/श्री संजीव कुमार झा, अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–2)/आई0टी0 प्रबन्धक, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7.25
(अंजु सिंह)
संयुक्त सचिव (विधि)